

26/06/25

अज्ञात

श्री राजेश कुमार दंडिया, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

वकील अपीलान व अपीलान

की बार-बार रुक रुक कर 4:00 PM तक
आवाजे लगवाई गई | आवाजे लगाने के बाद भी
कोई उपस्थित नहीं | डाल : पत्रावली अफ हाजरी व
अफ पेंची के खारिज ही जाती है | पत्रावली
बाद कार्यवाही दायिल दफ्तर ही
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया

गया

राजेश कुमार दंडिया
सदस्य

कमला अलारिया
सदस्य